कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः फा. 15(7)सविरा/नियम/जनरल सेवानियम/89 पार्ट–6 दिनांक 17/7/2013

आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 06.06.13 के द्वारा राज्य की विभिन्न सहकारी सोसाइटियों के कार्मिकों की सेवाओं के एक सोसाइटी से अन्य सोसाइटी में सेवा हस्तान्तरण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये थे। उक्त आदेश की शर्त संख्या–5 में निम्न प्रावधान किया गया है।

> "जिस संस्था द्वारा अपने कार्मिक को सेवा हस्तान्तरण पर अन्य संस्था में भेजा गया है, उस संस्था द्वारा कार्मिक की सेवा हस्तान्तरण के फलस्वरूप हुए रिक्त पद को कम से कम 3 वर्ष तक नहीं भरा जा सकेगा।"

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 06.06.13 में आंशिक संशोधन करते हुए प्रशासनिक कारणों से उक्त आदेश के बिन्दु संख्या–5 को एतद्द्वारा, तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जाता है।

सही
(पवन कुमार गोयल)
रजिस्ट्रार

क्रमांकः फा. 15(7)सविरा/नियम/जनरल सेवानियम/89 पार्ट–6 दिनांक 17/7/2013

प्रतिलिपि :

1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर।
4. प्रबन्ध संचालक, शीर्ष संस्थायें (समस्त)।
5. फंक्शनल अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय (समस्त) PRO
6. अतिरिक्त/संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियां ....खण्ड (समस्त) को प्रेषित कर लेख है कि आप उक्त आदेश अपने कार्यक्षेत्र में स्थित समस्त सहकारी संस्थाओं को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
7. उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां ....इकाई (समस्त)
8. प्रचार अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
9. गार्ड पत्रावली।

595

रजिस्ट्रार